न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 58/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1. अशोककुमार पुत्र भंवरलाल
2. अनीतादेवी पत्नि अशोक कुमार
जाति जैन, निवासी चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. रेवन्तसिंह उर्फ भूरसिंह पुत्र भगवानसिंह
2. कुलदीपसिंह पुत्र भगवानसिंह
जाति राजपूत निवासी चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – **श्री रामजीवन विश्नोई**
विप्रार्थीगण वकील –

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 28.09.2022

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा चौहटन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1271/651 रकबा 172.02 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढ़ासेढ विप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी का खेत मौजा चौहटन में खसरा सं. 1209/651 रकबा 69.09 बीघा का आया हुआ है। उक्त खसरे की तरमीम करवाते समय विप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत के मध्य गलत तौर पर तरमीम करवा दी [illegible] कब्जा नक्शे में की गई तरमीम से विपरित है। प्रार्थीगण का मौके पर रकबा 172.0[illegible] बीघा है जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में प्रार्थीगण का [illegible] प्रार्थीगण का रकबा 172.02 बीघा में से 48 बीघा भूमि की तरमीम विप्रार्थीगण के कब्जे [illegible]श्त में कर दी जो कि [illegible] गलत की गई। उक्त गलत तरमीम की आड़ में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि पर अवैध आधिपत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

करने पर उतारू है। मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम नहीं की जाकर लट्ठा ट्रेस में प्रार्थीगण का 48.00 बीघा रकबा कम करते हुए गलत तरमीम की गई। विप्रार्थीगण ने अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी से मिलकर अपनी मनमर्जी से राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम करवा दी तथा प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि को अपनी भूमि में समाहित करते हुए गलत तरमीम करवा दी । मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नक्शा ट्रेश में की गई तरमीम के बिलकुल विपरीत है। इस प्रकार उक्त तरमीम गलत होने से खारिज कर पुनः मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार व परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित बिन्दु एबीसीडी के अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे।

प्रार्थीगण का वर्तमान कब्जा काश्त आवेदन के साथ सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग आसमानी में दर्शाए अनुसार है। परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गए बरंग काला की भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। इसी अनुसार प्रार्थीगण तरमीम शुद्ध करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण को जरिये रजि. एडी नोटिस तलब किया गया। जिसकी एडी प्राप्त हुई। पत्रावली आज दिनांक 28.09.2022 को वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वकील प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण उपस्थित हुए । विप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब पूर्व में पेश किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि परिशिष्ट 'अ' सही है और हमें स्वीकार है यदि तरमीम सही की जाती है तो विप्रार्थी सं. 1 व 2 को कोई आपति नहीं है। विप्रार्थी सं. 03 तहसीलदार चौहटन स्वयं उपस्थित हुए । विप्रार्थी सं. 03 ने कहा कि यदि विप्रार्थीगण के जवाब अनुसार तरमीम संशोधन किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष पक्ष तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। यह प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा चौहटन के खसरा सं. 1271/651 एवं खसरा सं. 1209/651 की तरमीम परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरस्त की जाती है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परिशिष्ट 'क'

प्रपत्र सं. पी 26 (A)
(देखिए नियम 13)

केवल नकल के उपयोग के लिए

नक्शा किश्तवार
मौजा – चौहटन
पैमाना 1" = 80 करम

भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर राजस्थान सम्वत् 20.21 से 20.24 तक

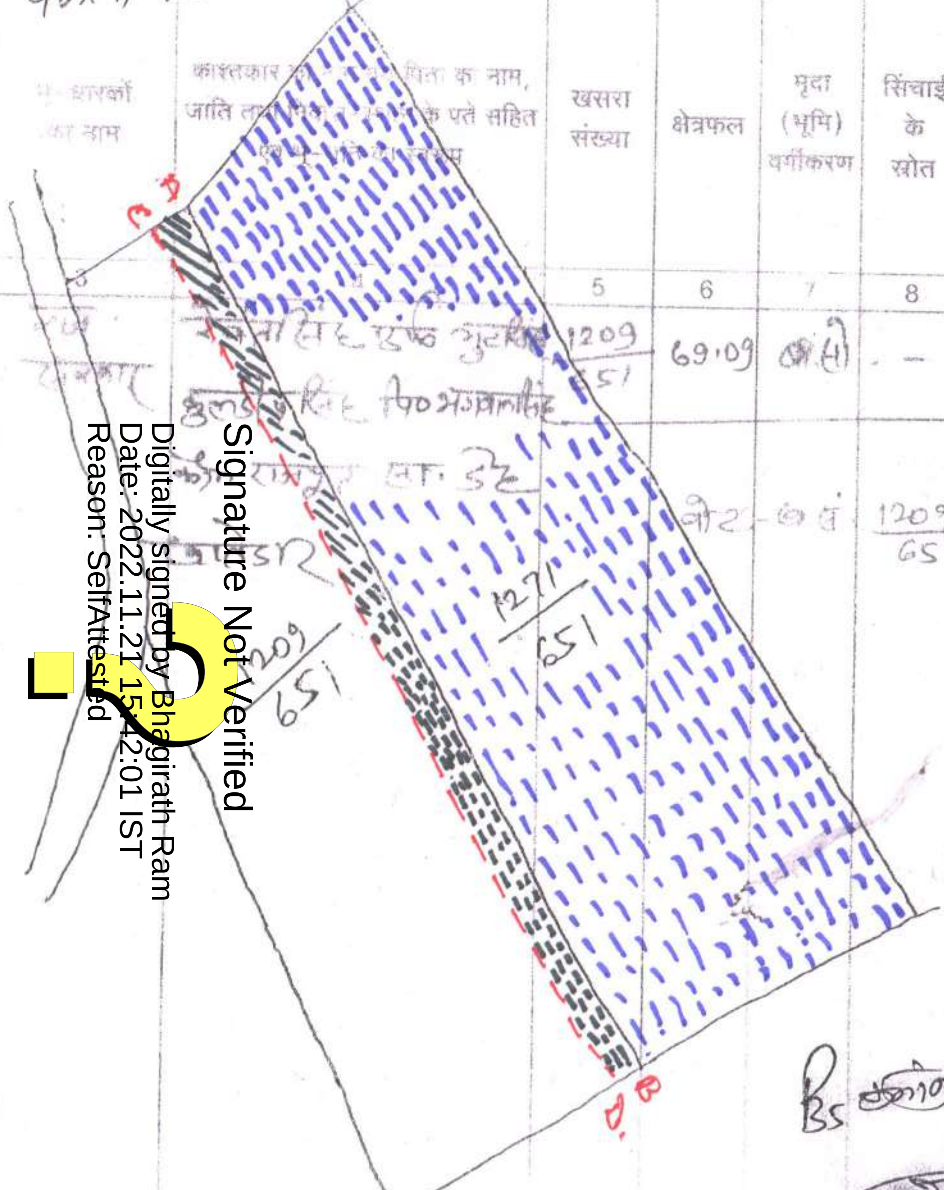

क्र.	पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	सम्वत् ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत् ....के लिए: भूमी के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत् ....के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	सम्वत् ....के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
250 (आंशिक)	217	राज सरकार	... सिंह पुत्र गुरु... कुलदीप सिंह पिता भगवान सिंह ... हा. 52 ...	1209/651	69.09	बा.(1)	—	0.05	3.47							

नोट – ख.नं. 1209/651 पर न्यायालय का स्थगन है।

BS शाखा 9310 16.5.22

(जमागप)
पटवारी (भू. अ.) - चौहटन
तहसील – चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

संलग्न: आसामी नक्शे में संशोधित करें

BS शाखा 9310 16.5.22

(जमागप)
... (भू अ.) चौहटन

Code : J-101

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested